



SITAPUR POLICE

“सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा”



प्रेस नोट जनपद सीतापुर

थाना मछरेहटा क्षेत्र अंतर्गत बालिका की हत्या के सनसनीखेज मामले का सफल अनावरण एवं अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक:-15.10.2026

श्रीमान पुलिस अधीक्षक सीतापुर महोदय श्री अंकुर अग्रवाल द्वारा जनपद सीतापुर में महिला संबंधी अपराधों/ अन्य जघन्य अपराधों से संबंधित अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी एवम् विधिक कार्यवाही के निर्देश दिये गये है।

उक्त दिये गये निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी महोदय श्री दुर्गेश कुमार सिंह के निकट पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मिश्रिख श्री विशाल गुप्ता के नेतृत्व में थाना मछरेहटा पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 251/2026 से संबंधित अभियुक्त जब्बर पुत्र मटरू निवासी ग्राम ग्वाली पुरवा थाना मछरेहटा जनपद सीतापुर को कल्ली रोड परिक्रमा मोड़ सूरजपुर पुलिया के पास से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल है।

दिनांक 12.10.2026 को थाना मछरेहटा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम ग्वालीपुरवा के पास खेत में बालिका (नाबालिग) का शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। मौके पर जांच में मृतका के पिता द्वारा बताया गया कि वह घर से सुबह शौच के लिए गई थीं जिसके वापस न आने पर तलाश के क्रम में उसका शव गन्ने के खेत में मृत अवस्था में मिला है। घटना में पिता द्वारा अज्ञात व्यक्ति द्वारा हत्या किए जाने की आशंका व्यक्त की गई तथा थाना मछरेहटा पर प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 0251/2026 धारा 103(1) बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक सीतापुर के निर्देशन में घटना के अनावरण हेतु व्यापक स्तर पर कार्यवाही की गई व मछरेहटा पुलिस तथा एसओजी (SOG) टीम को खुलासे के लिए लगाया गया। घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण करते हुए ड्रोन कैमरों के माध्यम से संपूर्ण जंगल एवं आसपास के क्षेत्र का सर्वेक्षण कराया गया तथा डॉग स्क्वाड की सहायता से सुराग तलाशे गए। घटनास्थल एवं प्रासंगिक वस्तुओं से आवश्यक साक्ष्य संकलित कर फॉरेंसिक एवं जैविक साक्ष्यों का वैज्ञानिक परीक्षण कराया गया। साथ ही, गांव एवं आसपास के क्षेत्र में व्यापक तलाशी, ग्रामीणों एवं संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ तथा तकनीकी साक्ष्यों का विश्लेषण किया गया। समस्त उपलब्ध साक्ष्यों एवं विवेचनात्मक तथ्यों के आधार पर अभियुक्त की संलिप्तता प्रकाश में आने पर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी जब्बर द्वारा बालिका को मोबाइल दिखाने के बहाने गन्ने के खेत में ले जाकर दुष्कर्म की घटना कारित की गयी थी एवम् बालिका द्वारा अपने परिजन को बताने की बात कहने पर आरोपी द्वारा उसका गला दबाकर हत्या की घटना कारित कर दी गयी। प्राप्त साक्ष्यों/तथ्यों/विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में आरोपी जब्बर का अंतर्गत धारा 103(1)/65(2) बीएनएस एवं धारा 5(m)/6 पोक्सो एक्ट चालान मा.न्यायालय किया जा रहा है।

अभियुक्त का नाम/पता:- जब्बर पुत्र मटरू निवासी ग्राम ग्वाली पुरवा थाना मछरेहटा जनपद सीतापुर

पंजीकृत अभियोग – मु0अ0सं0 251/2026 धारा 103(1)/65(2) बीएनएस एवं धारा 5(m)/6 पॉक्सो एक्ट थाना मछरेहटा जनपद सीतापुर

पुलिस टीम थाना मछरेहटा –

1. थानाध्यक्ष श्री रजनीश कुमार वर्मा
2. उ0नि0 श्री गजेन्द्र राम खरवार
3. का0 बृजेश
4. का0 रामचन्द्र मौर्या
5. का0 जितेन्द्र कुमार
6. का0 अशोक कुमार
7. का0 सतीश
8. का0 राहुल कुमार

एसओजी पुलिस टीम- निरीक्षक श्री अजय राय ,उप निरीक्षक श्री अरविन्द शुक्ला ,हे.का अनुराग, हे.का. हेमंत कुमार सिंह, हे०का०शराफ़त अली ,हे०का०अविनाश सिंह,हे०का०राहुल कुमार ,हे०का०सोहनपाल ,क०आ०गुरपाल सिंह ,का० दीपक रंजन ,का० प्रशांत शेखर सिंह,का० शुभम तिवारी ,का० पुनीत कुमार ,का० सोनल तोमर ,का० अमित मांगट ,का० दानवीर ,का० शैकी ,का० ब्रह्मफूल ,म०का० डाली रानी

